न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर, प्रथम

मुख्यालय सांगानेर।

पीठासीन अधिकारी– राजपाल सिंह

दाण्डिक विविध जमानत सं.–111/2026 (सीआईएस नं.–216/2026)

रावन खान पुत्र मिकाइल खान, आयु 26 वर्ष, निवासी ग्राम सीतापुर, पुलिस थाना वीरपुर, जिला–सुपौल, राज्य बिहार, हाल खान बदौस, मुहाना मण्डी, पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

––अप्रार्थी/राज्य

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 बीएनएसएस
प्र.सू.रि.सं.–200/2026 पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण।
अपराध अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री नीरज कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– अपर लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 19.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अंतर्गत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंधित पुलिस थाने से तलब की गई।

2. जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि परिवादी श्री शिवसिंह सउनि, पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण को दिनांक 06.03.2026 को दौराने गश्त मुखबीर की इत्तिला पर प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से बिना वैध अनुज्ञा पत्र के एक धारदार लोहे का चाकू बरामद हुआ। मौके पर फर्दात की कार्यवाही की गई। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200/2026 अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त की उपरोक्त अपराध में संलिप्तता पाई जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस कथन रहा है, कि

प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। उसका प्रश्नगत अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की सम्पोषक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा दिनांक 06.03.2026 से ही अभिरक्षा में चला आ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार के धारदार चाकू की बरामदगी नहीं हुई न ही बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध किया एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान में किसी प्रकार की आवश्यकता होना केस डायरी से प्रकट नहीं हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.03.2026 से अभिरक्षा में है। पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुण–दोष पर किसी प्रकार की राय व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रावण खान पुत्र श्री मिकाइल खान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है, कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान् विचारण न्यायाालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये की राशि का निजी मुचलका एवं उनकी संतुष्टि की पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो सुदृढ जमानतें प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवें, तो उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. आदेश की प्रति न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–18 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर को प्रेषित की जाए।

(राजपाल सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–10
जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

9. आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–10
जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर